FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत ––––––अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–02–––मुकाम

किशनगढ़

सरकार ––––बनाम–––– सुरेश यादव

किस्म मुकदमा –––– सेशन प्रकरण संख्या 34/2023 (46/2023) ––––––

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20-08-2025	अपर लोक अभियोजक उप। अधिवक्ता अभियुक्त उपस्थित। अभियुक्त सुरेश यादव न्यायिक अभिरक्षा से जरिये वी.सी. उपस्थित। जे. सी. वारंट प्राप्त हुआ। इस आदेश द्वारा अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 08.08.2025 का निस्तारण किया जा रहा हैं। उक्त प्रार्थना पत्र बाबत उभयपक्षो को गतपेशी पर सुना गया। दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्त ने कथन किया कि प्रकरण मे गवाह शांति के बयान चल रहे हैं। गवाह शांति देवी को अपर लोक अभियोजक द्वारा एक भी सवाल नही पूछा गया सारा बयान प्रार्थना पत्र प्रस्तुति तक गवाह ने स्वयं रटा रटाया बिना किसी सवाल पूछे लिखाया है। गवाह अपने पढे–पढाये, सीखे–सीखाये बयान दे रही हैं। अतः गवाह के कंडक्ट के आधार पर उसके कथनो को साक्ष्य में ग्राह्य नही करने का निवेदन किया। उक्त प्रार्थना पत्र का अपर लोक अभियोजक की ओर से कोई लिखित जवाब प्रस्तुत नही किया गया। दौराने बहस अपर लोक अभियोजक ने कथन किया कि गवाह का मुख्य परीक्षण न्यायालय के द्वारा लेखबद्ध किया जा रहा हैं। गवाह से पूछे गये प्रश्न के उत्तर मे ही गवाह ने सम्पूर्ण घटनाक्रम को बताया है। गवाह से पूछे गये प्रश्न कि ''क्या घटना घटित हुई'' के उत्तर मे ही गवाह ने साक्ष्य दी है जो किसी प्रकार से सीखाये हुए साक्ष्य नही है। गवाह ने अपने साथ हुई घटना को चक्षुदर्शी साक्ष्य के रूप में प्रकट किया हैं। अभियुक्तको गवाह से जिरह करने का पूर्ण अवसर प्राप्त हैं। प्रार्थना पत्र मात्र विलंब कारित करने के उद्देश्य से पेश किया गया हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रकरण में गवाहान की साक्ष्य शीघ्र लेखबद्ध करने के निर्देश दे रखे हैं। अतः प्रार्थना पत्र मय हर्जा खारिज किया जावें तथा गवाहान की साक्ष्य प्राथमिकता से माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार शीघ्र प्राथमिकता से लेखबद्ध करवाने का निवेदन किया उभयपक्षो को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया। संबंधित विधि का अध्ययन व परिशीलन किया गया। अभियुक्त की ओर से जरिये प्रार्थना पत्र गवाह शांति देवी द्वारा दिनांक 08.08.2025 को लेखबद्ध की गई साक्ष्य अपर लोक अभियोजक के बिना प्रश्न पूछे मुख्य परीक्षण में रटी रटाई साक्ष्य दिये जाने का कथन करने हुए उसे साक्ष्य मे ग्राह्य नही किये जाने का निवेदन किया है इस संबंध मे पत्रावली व गवाह की साक्ष्य का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से	

	प्रकट होता है कि प्रकरण मे चश्मदीद गवाह शांति पत्नि गोपाल पी. डब्ल्यू. 04 को अपर लोक अभियोजक द्वारा दिनांक 08.08.2025 को बतौर अभियोजन गवाह परीक्षित करवाया गया। मुख्य परीक्षण में अपर लोक अभियोजक द्वारा गवाह से घटनाक्रम के संबंध मे प्रश्न पूछने पर ही गवाह द्वारा अपने साक्ष्य लेखबद्ध करवाई हैं। मुख्य परीक्षण मे सामान्यतः विधिक प्रावधानो के अनुसार सीधे प्रश्न(Direct Question) ही पूछे जाते है, सूचक प्रश्न न्यायालय की अनुमति से ही पूछे जा सकते है। अपर लोक अभियोजक द्वारा मुख्य परीक्षा मे जो प्रश्न पूछे गये हैं वे सीधे प्रश्न हैं जो घटनाक्रम के संबंध मे पूछे गये जिसके उत्तर मे गवाह ने घटनाक्रम का विवरण मुख्य परीक्षा में बताया। उक्त गवाह द्वारा, पूछे गये प्रश्नो के आधार पर ही साक्ष्य दी जा रही है इसके अतिरिक्त अभियुक्त को गवाह से जिरह करने का पूर्ण अवसर प्राप्त है अतः ऐसी स्थिति में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निराधार होना प्रकट होता है। प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने गवाह राजेंद्र व शांति देवी के बयान प्राथमिकता से लेखबद्ध करने के निर्देश दिये हैं परंतु अभियुक्त की ओर से प्रार्थना पत्र से गवाह की साक्ष्य लेखबद्ध करने में अनावश्यक विलंब हो रहा है अतः उक्त प्रार्थना पत्र उक्त विवेचनानुसार स्वीकार किये जाने योग्य प्रकट नही होता व अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। गवाह को आईंदा पेश करने के लिए अपर लोक अभियोजक ने अवसर चाहा। गवाह के उपस्थित आने पर उससे आवश्यक रूप से जिरह की जावें। अभियुक्त की जे.सी. अवधि बढाई गई। पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन दिनांक 22.08.2025 को पेश हों।	